संख्या-10/504/अडतीस-7-2020-10नरेगा/2020टीसी-1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनाँक 04 मई, 2020

विषयः कोविड-19 से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों को मनरेगा योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में कोविड-19 के प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। श्रमिकों को मनरेगा योजना के अन्तर्गत उनकी मांग के अनुसार समय से कार्य उपलब्ध कराये जाने की बाध्यता है। इसके अनुश्रवण हेतु जिला मुख्यालय पर तत्काल एक कन्ट्रोल रूम स्थापित कराया जाय ताकि मनरेगा श्रमिकों को काम उपलब्ध न होने संबंधी शिकायत कन्ट्रोल रूम में दर्ज करायी जा सके। इस हेतु यह भी आवश्यक है कि जनपद स्तर पर स्थापित किये जाने वाले कन्ट्रोल रूम का दूरभाष/मोबाइल नम्बर प्रत्येक ग्राम सभा को उपलब्ध कराने के साथ-साथ उसका व्यापक प्रचार करा दिया जाय ताकि शिकायतकर्ताओं को कार्य की अनुपलब्धता की दशा में अथवा जाबकार्ड न बनने की शिकायत दर्ज कराने में किसी असुविधा का सामना न करना पडे. । जनपद स्तर स्थापित कन्ट्रोल रूम का दूरभाष/मोबाइल नम्बर राज्य मुख्यालय मनरेगा प्रकोष्ठ को भी उपलब्ध कराया जाय।

2- उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्राप्त शिकायतों का नियमित रूप से मुख्य विकास अधिकारी अनुश्रवण करेंगे। श्रमिकों द्वारा की गयी शिकायतों का निराकरण कराकर उन्हें उनकी मांग के अनुसार कार्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा अनुपालन आख्या संकलित रूप से प्रतिदिन राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-10/504(1)/अडतीस-7-2020तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर आयुक्त(मनरेगा), उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।
5. गार्डबुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in